कार्यालय मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1129 स्वशासी/स्था/एमसी/2021 रीवा दिनांक 1-6-2021

–:: सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा में पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति – 2021 ::–

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

क्रमांक	गतिविधि	तिथि
01	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	02 जून 2021
02	ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	02 जुलाई 2021
03	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारम्भ तिथि	30 जून 2021
04	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	03 जुलाई 2021
05	प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि	15 जुलाई 2021
06	परीक्षा की तिथि एवं समय	31 जुलाई 2021 (शनिवार) अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक

नोट :– परीक्षा समय एवं स्थान की जानकारी पृथक से प्रसारित की जावेगी।

परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के लिये	**रू. 1000/– (जी.एस.टी. सहित) (रू.800/– एमपी ऑनलाईन शुल्क + रू. 200/–संस्था हेतु)**
आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के लिये	**रू. 900/– (जी.एस.टी. सहित) (रू.800/– एमपी ऑनलाईन शुल्क + रू. 100/–संस्था हेतु)**
➢ ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु एक बार के लिए एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रू. 50/– + जी.एस.टी. देय होगा। ➢ परीक्षा उपरान्त प्रश्न पत्र से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पर आब्जेक्शन हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रू. 50/– + जी.एस.टी. देय होगा।	

टिप्पणी :–

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
2. परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को विनिश्चत मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई–आधार कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नम्बर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिर्पोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
5. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाइल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेब्लस एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

6. ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
7. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
8. परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी (English)/हिन्दी होगा।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन–पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के किसी भी प्रमाण–पत्र का परीक्षण एम.पी. ऑनलाइन द्वारा नहीं किया जावेगा। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण संस्था द्वारा किया जावेगा। अतः कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।
11. अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
12. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–6–1/2002/अ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम–4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अन्तर्गत "4–ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध" में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति का है तो उसे केवल आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट–1)** में बिना शुल्क के समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी आवेदन की अंतिम तिथि तक संस्था में जमा करना होगा। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

परीक्षा आयोजन के नियम एवं निर्देश

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–06/2018/1–55 भोपाल, दिनांक 07.04.2018 द्वारा जारी "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018" एवं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 432–34/स्था/अराज/2019 भोपाल, दिनांक 27.04.2019 द्वारा प्राप्त सह–चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर सुपर स्पेशलिटी, ब्लॉक रीवा में विभिन्न सह–चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों पर आवेदन प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूची **एम.पी. ऑनलाइन** के माध्यम से तैयार की जानी है।

सीधी भर्ती – ओ.टी. टेक्नीशियन– कुल 03 पद

स.क्र	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
5	ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)	00	00	00	00	00	
	योग	**03**	**00**	**00**	**00**	**03**	

सीधी भर्ती – एनेस्थीसिया टेक्नीशियन– कुल 02 पद

स.क्र	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
5	ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)	00	00	00	00	00	
	योग	**02**	**00**	**00**	**00**	**02**	

सीधी भर्ती – कार्डियोथोरासिक टेक्नीशियन– कुल 02 पद

स.क्र	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
5	ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)	00	00	00	00	00	
	योग	**02**	**00**	**00**	**00**	**02**	

सीधी भर्ती – ई.सी.जी. टेक्नीशियन– कुल 02 पद

स.क्र	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
5	ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)	00	00	00	00	00	
	योग	**02**	**00**	**00**	**00**	**02**	

सीधी भर्ती – डायलेसिस टेक्नीशियन– कुल 04 पद

स.क्र	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	02	00	00	00	02	निरंक
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
5	ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)	00	00	00	00	00	
	योग	**04**	**00**	**00**	**00**	**04**	

सीधी भर्ती – एक्स–रे टेक्नीशियन– कुल 03 पद

स.क्र	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
5	ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)	00	00	00	00	00	
	योग	**03**	**00**	**00**	**00**	**03**	

सीधी भर्ती – रेडियोग्राफर टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर– कुल 02 पद

स.क्र	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
5	ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)	00	00	00	00	00	
	योग	**02**	**00**	**00**	**00**	**02**	

नोट :– पदों की संख्या में नियमानुसार वृद्धि या कमी हो सकती है।

02. अर्हताएं :–

स. क्र.	**पद का नाम**	**न्यूनतम आयु सीमा**	**शैक्षणिक अर्हताऐ**
1	2	3	4
1.	ओ.टी. टेक्नीशियन	18 वर्ष	1. अभ्यार्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
2.	एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	18 वर्ष	1. अभ्यार्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
3.	कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन	18 वर्ष	1. अभ्यार्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा प्रमाण पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
4.	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	18 वर्ष	1. अभ्यार्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से ई.सी.जी. टेक्नीशियन में 01 वर्ष का प्रमाण पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।

5.	डायलेसिस टेक्नीशियन	18 वर्ष	1. अभ्यार्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से डायलेसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
6.	एक्स–रे टेक्नीशियन	18 वर्ष	1. अभ्यार्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्स–रे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण–पत्र (डिग्रीधारी को प्राथमिकता)। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
7.	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/ रेडियोग्राफर	18 वर्ष	1. अभ्यार्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।

03. वेतनमान :– 5200–20200+2800 (सातवें वेतनमान के लेवल–7, न्यूनतम वेतन 28700/–)

04. म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 2–20/2020/1/55/भोपाल दिनांक 17.11.2020 द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदो को भरने के संबंध में जारी निर्देश अनुसार पैरामेडिकल संवर्गो हेतु प्रथमतः प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पद पूर्ति की जावेगी। उपरोक्त प्रक्रिया से पद भरने के उपरांत शेष रिक्त पदो के लिए अन्य संस्थाओं से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का सीधी भर्ती से भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदो के लिए 100 बिन्दु रोस्टर का पालन एवं म.प्र. स्वशासी "आदर्श सेवा भर्ती नियम, 2018" मे निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

05. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

06. आरक्षण :–

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (Vertical) आरक्षण लागू होगा :–

अनुसूचित जनजाति	–	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	–	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	–	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	–	10 प्रतिशत

(2) क्षैतिज आरक्षण :–

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) क्रमांक 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :–

किन्ही सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस (33 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट) भोपाल, दिनांक 03.07.2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है। नर्सिंग जिसका सीधा संबंध जन सामान्य के स्वास्थ्य परीक्षण एवं ईलाज में है, सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग म.प्र. का राजपत्र दिनांक 20.12.2019 के अनुसार शारिरिक रूप से दिव्यांग (जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिट अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी) चयन हेतु पात्र होगे इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग उम्मीदवार भर्ती हेतु अपात्र होगे।

(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

(3) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07–11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए सीधी भर्ती क लिए उपलब्ध रिक्तियों पर 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

(4) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

(5) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तद्समय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।

07. **यात्रा भत्ता** – अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

08. **परीक्षा केन्द्र** – परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एम.पी.ऑनलाइन के द्वारा किया जावेगा।

09. निरर्हता –

(1) अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार होगी जो हाईस्कूल, हायर सेकण्ड्री या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस वापस किये जाने का दायित्व नहीं होगा।

(2)(क) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरूष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(2)(ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियां है या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(2)(ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसके पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

3. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये अनुचित तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या प्रतिरूपण किया / कराया गया हो।
4. कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो।
5. भर्ती के किसी भी स्तर पर आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई गई हो।
6. परीक्षा के समय अनियमित/अनुचित साधन का प्रयोग किया गया हो।
7. परीक्षा के समय लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को धमकाया/दुर्व्यहार किया गया हो।
8. ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
9. किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

10. अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति –

अभ्यर्थी का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्त्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई अभ्यर्थी जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो।

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा संस्था का विनिश्चय अंतिम होगा।

11. अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा –

(1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेष घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो , सम्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

12. अभ्यर्थिता का रद्द करने के लिए –

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्ही आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिया रद्द हो जाएगी, जिसने –

(क) ऑनलाइन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है, या

(ख) प्रतिरूपण किया हो, या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो, या

(घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों, या

(ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो, या

(च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो, या

(छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो, या

(ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक/वीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो , या

(झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक/वीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो, या

(ञ) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुरव्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

13. सामान्य शर्तें –

(1) आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :–

- अनारक्षित वर्ग के लिए – **40 वर्ष**
- अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल /स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक /निःशक्तजन /महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिये – **45 वर्ष**

(2) सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी ।

(3) नियुक्ति उपरांत परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र सेवा हेतु आवेदन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना संभव नही होगा।

(4) चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरीफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वैरीफिकेशन/चरित्र सत्यापन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवाएं समाप्त की जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(5) नियुक्ति इस संस्था के सेवाशर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

(6) स्क्रूटनी परिणाम एवं चयन प्रकिया से संबंधित जानकारी संस्था की वेबसाईट www.ssmcrewa.com एवं www.mponline.gov.in पर अपलोड की जायेगी। अद्यतन जानकारी के लिये वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करें। यदि आवेदक समय–समय पर जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो अभ्यार्थी की दावेदारी मान्य नही की जावेगी।

(7) अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को भर्ती की प्रक्रिया किसी भी चरण पर यथोचित कारण के साथ आंशिक/पूर्णरूप से निरस्त किये जाने का अधिकार होगा

(8) चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(9) भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती में राज्य स्तरीय पदों/संवर्गो हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

एम.पी.ऑनलाइन तथा श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की वेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें। परन्तु इसके पश्चात भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

14. आवेदन कैसे करें :–

1. कृपया आवेदन भरने के पूर्व सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ ले। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्ष लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाइन www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियां अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है :–
   - I. जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्मप्रमाण पत्र ।
   - II. 12 वीं कक्षा की अंकसूची।
   - III. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/फाइनल ईयर की मार्कशीट।

IV. मध्यप्रदेश में संबंधित काउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।

V. फोटो पहचान पत्र।

VI. उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।

VII. जाति प्रमाण पत्र।

प्रत्येक दस्तावेज, फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200 के.बी. आकार से अधिक ना हो।

4. यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो दूरभाष नम्बर 07557–6720200 / 0755–6720222 पर सम्पर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाइन के होमपेज पर "संपर्क करें" टैब अन्तर्गत शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय (बैगा/सहारिया/भारिया जनजाति) के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा)

पैरामेडिकल संवर्ग के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति – 2021

पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो
(नाम एवं दिनांक सहित)

01. विज्ञापन कमांक ..... दिनांक .....

02. आवेदक का पूरा नाम (उप नाम सहित).....

03. पिता/पति का नाम (उप नाम सहित).....

04. जन्म तिथि ...../...../.....
(सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

05. आयुः– वर्ष.....माह.....दिन.....(दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में)

06. वर्तमान निवास का पता तथा पिन कोड एवं मो. नं. :–.....

.....

07. स्थाई निवास का पूर्ण पता तथा पिन कोड :– .....

.....

08. विशेष पिछडी जनजाति का नाम एवं स्थान : .....

09. क्या अभ्यार्थी भूतपूर्व सैनिक है (हाँ/नहीं).....

10. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि .....

11.पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन क्रमांक .....

12. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन क्रमांक .....

13. शैक्षणिक योग्यता :–(विज्ञापन अनुसार पद हेतु उल्लेखित समस्त अर्हता परीक्षाओं की जानकारी)

क्र.	परीक्षा का नाम	महाविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्राप्तांक/पूर्णांक

आवेदक का नाम लिखे.....

क्रमशः.....02 पेज

15. अन्य विशेष योग्यता :– .....

16. निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करें :–

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	(हां/नहीं/लागू नहीं)
1.	10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
2.	12वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
3.	अर्हता परीक्षा(ओ) से संबंधित समस्त अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
4.	संबंधित परिषद् में जीवित पंजीयन का स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
5.	आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
6.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. के मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
7.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति– प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
8.	नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। (यदि लागू)	
9.	निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा 26.01.2001 के पश्चात् तीसरी संतान न होने का स्वघोषित शपथ–पत्र। (यदि लागू)	
10.	विधवा/परित्यकक्ता/तलाक शुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमणित तद्विषयक शपथ–पत्र। (यदि लागू)	
11.	कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। (यदि लागू)	

स्थान : **आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम**
दिनांक :

प्रमाण पत्र

प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है, जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान : **आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम**
दिनांक :

————000————

Syllabus of Paramedical

Physics

- Laws of Motion.
- Work, Energy and Power
- Gravitation
- Units and Measurements
- Electrostatics
- Magnetic Effects of Current and Magnetism
- Optics
- Electromagnetic Induction and Alternating Currents

Chemistry

- Structure of atom
- Classification of Elements and Periodicity in Properties
- Chemical Bonding and Molecular Structure
- States of Matter: Gases and Liquids
- Electrochemistry
- Chemical Kinetics
- Alcohols, Phenols and Ethers
- Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids

Biology

- Diversity of Living Organisms
- Structural Organization in Plants and Animals
- Cell: Structure and Function
- Plant Physiology
- Human Physiology
- Reproduction
- Genetics and Evolution
- Biology and Human Welfare
- Biotechnology and its Applications
- Ecology and Environment

General Knowledge

- Culture, Music and Dance of M.P
- Physical Geography (River mountain etc) of M.P
- Agriculture , Industry of M.P
- Contribution of Madhya Pradesh in Indian National movement,
- Monuments of M.P
- . Personalities, award of M.P

Approved 24.05.2021 (Dr. Lokesh Tripathi)

Approved 24/05/21 Asst. Prof.

Approved 24/5/2021

Basic Computer Knowledge

- Characteristics of Computers
- Computer Organisation including RAM, ROM,
- Operating System
- , MS-Office (exposure of Word, Excel/spread sheet, Power point),
- Input-Output Devices